



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65374

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2435/2026

नीलमणि उर्फ नीलूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मनोज कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 222/2025, धारा 85, 75(1) (i), 115(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना इगलास, जिला अलीगढ़ में अपनी गिरफ्तारी की आशंका में जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से यह स्पष्ट है कि आवेदक, जो पीड़िता का देवर (पीड़िता के पति का छोटा भाई) है, के विरुद्ध दो अवसरों पर पीड़िता को गलत तरीके से छूने का अस्पष्ट आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक एक छात्र है और वह 'नीट' परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में यह तर्क दिया गया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
5. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।
7. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- नीलमणि उर्फ नीलू की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;
 - (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
 - (iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
 - (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
9. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

28 मार्च, 2026

सी.एस./-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"